

कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़।

प्रशासनिक आदेश (एडवाइजरी) संख्या 111/2020

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिस दिनांकित: मार्च 24, 2020 में इस आशय का उल्लेख है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधोलिखित आदेश " As resolved by the Administrative Committee (telephonically), in supersession of all administrative notifications, circular etc. issued earlier, the Court work in the Allahabad High High Court shall remain suspended with immediate effect till further orders. However, imminently emergent and urgent cases would be heard by the designated Division Bench/Single Judge with prior approval of the Chief Justice. For Lucknow Bench, necessary approval for hearing of urgent cases shall be obtained from Hon'ble Senior Judge, Lucknow.

All the courts subrdinate to the High Court of Judicature at Allahabad and all commercial courts, Motor Accident Claims Tribunal and Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authorities across the State of U.P. shall also remain closed till further orders. The remand and bails of arrested person shall be done as per holiday practice."


माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु यह आदेश/एडवाइजरी पारित/निर्गत किया जाता है कि-

१. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपद न्यायालय आजमगढ़ के सभी न्यायालय अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे।
२. गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के रिमाण्ड व जमानत सम्बंधी कार्य उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि अवकाश के दिनों में किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवस्था किये जाने हेतु अविलम्ब आदेश पारित करें।

माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त आदेश (एडवाइजरी) का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु इस आदेश (एडवाइजरी) को जनपद न्यायालय आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारीगण/अधिकारीगण के मध्य ^{अविलम्ब} परिचालित किया जाए

तथा इसकी एक प्रति अविलम्ब जनपद न्यायालय आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।

दिनांक २५.०३.२०२०


(प्रमोद कुमार शर्मा)


जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

आजमगढ़।

संख्या / प्रथम दिनांकित: मार्च २५, २०२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०१. जिलाधिकारी आजमगढ़।
०२. पुलिस अधीक्षक आजमगढ़।
०३. अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़।
०४. अध्यक्ष/ मन्त्री दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़ को इस आशय से कि वे इससे स्वयं अवगत होकर इस बार एसोसियेशन के अन्य सदस्यगण को अवगत कराने का कष्ट करें।
०५. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को ऐसे समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये, जिनका इस जनपद में सर्कुलेशन हो।


(प्रमोद कुमार शर्मा)

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

आजमगढ़।